

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2183] No. 2183] नई दिल्ली, बुधवार, जून 13, 2018/ज्येष्ठ 23, 1940

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 13, 2018/JYAISTHA 23, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 जून, 2018

- का.आ. 2414 (अ). केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्वंधन हटाना आदेश, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातु:-
- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना (संशोधन) आदेश, 2018 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्वंधन हटाना आदेश, 2016 में खंड 3 के उप-खंड (2) की मद (iii) का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. एस-10/2/2017-ईसीआरएंडई]

ए. के. चौधरी, आर्थिक सलाहकार

िटप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 929(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात उसमें – का.आ. सं. 3341(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2016 ; का.आ. सं. 1288(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2017, का.आ. सं. 1600 (अ), तारीख 17 मई, 2017, का.आ. सं. 2785 (अ), तारीख 25 अगस्त, 2017, का.आ. सं. 3136(अ) तारीख 27 सितंबर, 2017, का. आ. सं. 3397 (अ) तारीख 23 अक्तूबर, 2017, का.आ. सं. 3422 (अ) तारीख 25 अक्तूबर, 2017 तथा का. आ. सं. 4079 (अ) तारीख 27 दिसम्बर, 2017 द्वारा संशोधन किए गए थे।

3334 GI/2018 (1)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 13th June, 2018

S.O.2414(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, namely:—

- 1. (1) This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2018.
 - (2) It shall come into force on the date of publication in the official Gazette.
- 2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), item (iii) shall be omitted.

[F.No.S-10/2/2017-ECR&E]

A. K. CHOUDHARY, Economic Adviser

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 929(E), dated the 29th September, 2016 and was subsequently amended *vide* numbers S.O. 3341(E), dated the 27th October, 2016, S.O. 1288(E), dated the 25th April, 2017, S.O. 1600(E), dated the 17th May, 2017, S.O.2785 (E), dated the 25th August, 2017, S.O. 3136(E), dated the 27th September, 2017, S.O. 3397(E), dated the 23rd October, 2017, S.O. 3422(E), dated the 25th October, 2017 and S.O. 4079(E), dated the 27th December, 2017.